न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या :: 39/2019 ::
जी.सी.एम.एस. नम्बर :: 2019/00096 ::

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
शीतल पुत्री गंगाराम जाति प्रजापत निवासी 319 मैन बाजार ग्राम सेन्दडा जिला पाली		1. ग्राम पंचायत सेन्दड़ा जरिये सरंपच तहसील रायपुर जिला पाली 2. श्रीमती बिदाम कवंर पत्नि श्री गणेशमल जाति प्रजापत निवासी सेन्दड़ा तहसील रायपुर जिला पाली 3. मृतक पुखराज पुत्र श्री शेराजी जाति मेवाड़ा के विधिक वारिसान – 3.1 दुर्गाराम मेवाड़ा उर्फ राम मेवाड़ा पुत्र स्व पुखराज मेवाड़ा 3.2 दलपत मेवाड़ा पुत्र स्व. पुखराज मेवाड़ा 3.3 घनश्याम मेवाड़ा पुत्र स्व. पुखराज मेवाडा जातिगण मेवाडा निवासीगण आशा टेन्ट हाउस होटल राजमहल के सामने ब्यावर जिला अजमेर 3.4 श्रीमती सुआ देवी पत्नी स्व पुखराज मेवाड़ा जाति मेवाड़ा निवासी 29 प्रेम नगर होटल राजमहल के सामने वाली गली ब्यावर जिला अजमेर 4. श्रीमती कमला पत्नी सोहनलाल जाति वाल्मिकी निवासी रेल्वे स्टेशन सेन्दड़ा तह.रायपुर जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव
अप्रार्थीगण संख्या 02 व 04 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश मकवाना

–: निर्णय :–

दिनांक : 28-3-2023

प्रार्थीया की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत सेन्दड़ा की मिसल संख्या 02/97–98 में पारित ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 12 दिनांक 18.11.1997 एवं इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 02 दिनांक 27.11.1997 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थीया ग्राम सेन्दड़ा की मूल निवासी है प्रार्थीया के दादा गोपीलाल पुत्र श्री उरजाराम जाति कुम्हार के नाम ग्राम

अति. जिला कलक्टर, पाली

सेन्दड़ा के खसरा नम्बर 770 रकबा 0.0379 भुमि आई हुई है जिसके पुराने खसरा नम्बर 509 है जो गोपीलाल जी ने सेटलमेन्ट से पुर्व वर्ष 1945 में खरीद की थी जिस पर प्रार्थीया का परिवार आदिनांक तक मालिकाना हक की हैसियत से कब्जा काश्त करता आ रहा है एवं खातेदार है। ग्राम सेन्दड़ा के निवासी केसाराम पुत्र शोभाराम व गणपतलाल पुत्र केसाराम ने उपखण्ड कार्यालय जैतारण में एक वाद पेश कर निवेदन किया कि सेन्दडा के खसरा नम्बर 770 के रकबे मे से 02 बिस्वा भुमि पर प्रार्थीगण का वर्ष 1962 से कब्जा काश्त होने से 02 बिस्वा भुमि पर खातेदारी दिलाने का निवेदन किया, चूंकि खसरा नम्बर 770 गोपीलाल पुत्र उरजाराम की खरीदशुदा खातेदारी भुमि होने से केसाराम वगैरा द्वारा उपखण्ड न्यायालय जैतारण में प्रस्तुत प्रकरण संख्या 60/89 खारिज कर दिया गया, जिसे बाद में प्रार्थी श्री केसाराम एवं गणपतलाल ने विड्रोल कर लिया। ग्राम सेन्दड़ा के मुख्य सड़क पाली से ब्यावर रोड़ पर प्रार्थीया के पिता की खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 769 पर प्रार्थीया का पुराना मकान है जिसके दक्षिण तरफ खसरा नम्बर 771 खातेदारी भूमि व तेजाजी का मंदिर स्थित है, जो आबादी भूमि नही है। उक्त भुमि मुख्य सडक पर स्थित होने होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमि थी जिसके संबध में अप्रार्थी संख्या 03 ने प्रार्थीया के पिता को उक्त भुमि के उत्तर की तरफ वाले हिस्से पर दुकान बना कर किराये पर देने का कहने पर प्रार्थीया के पिता ने दुकान बना कर 400/– रूपये में अप्रार्थी संख्या 03 को किराये पर दे दी। अप्रार्थी संख्या 03 कुछ समय पर तो प्रार्थीया के पिता को समय पर किराया देता रहा लेकिन बाद में किराये को लेकर विवाद होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1,2 एवं अप्रार्थी संख्या 3 ने षड़यंत्र रचते हुए अप्रार्थी संख्या 02 श्रीमति बिदाम कवंर पत्नी गणेशराम जाति प्रजापत निवासी सेन्दडा के नाम उक्त दुकान का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 770 मे है जो प्रार्थीया के पिता की खातेदारी भुमि है। जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थीगण ने पंचायत नियमों की अवहेलना करते हुए बना आवेदन शुल्क, बिना निरीक्षण शुल्क, बिना नक्शा शुल्क जमा करवाये दिनांक 26.08.1997 को तीन वार्ड पंचो की कमेटी गठित कर दी एवं दिनांक 17.10.1997 को मौका रिपोर्ट पेश कर दी। पट्टे के आवेदन में जैर निगरानी पट्टा कब्जाशुदा व प्लाट बताया गया जबकि मौका रिपोर्ट में पुश्तैनी बताया गया जो कि वास्तविकता से परे है। जैर निगरानी पट्टा खातेदारी भूमि पर बना हुआ है जो कि प्रार्थीया के पिता की खातेदारी भूमि है जिसमें ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नही होने के बावजुद भी जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत ने मात्र 200/– रूपये के शुल्क पर पट्टा जारी कर दिया जबकि उक्त भुमि नेशनल हाईवे के समीप होने के कारण नियम 161 के तहत रोड़ सीमा में होने से प्रतिबंधित होने के बावजुद जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया एंव एक सप्ताह के भीतर अप्रार्थी संख्या 02 ने 03 के पक्ष मे 50,000/– रूपये में बेचाण कर दिया, जिसकी जानकारी प्रार्थीया के पिता को नही थी, क्योंकि की अप्रार्थी संख्या 03 ने पुर्व की भांति प्रार्थीया के पिता को दुकान का किराया देना शुरू कर दिया। अप्रार्थी संख्या 03 ने उक्त जैर निगरानी फर्जी पट्टे की आड़ मे उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 4 को आठ लाख रूपये में बाले–बाले बेचाण कर दी। जिसके संबध में पुलिस थाना सेन्दड़ा में प्रकरण विचाराधीन

अति. जिला कलक्टर, पाली

है। ग्राम पंचायत सेन्दड़ा द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर प्रार्थीया के पिता की खातेदारी भूमि में पंचायत नियमों की अवहेलना करते हुए अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 04 ने वक्त बहस कथन किया कि उक्त विवादग्रस्त भुमि के संबध में पुलिस थाना सेन्दडा मे एक प्रकरण संख्या 243/2015 दर्ज है जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाई जिसमें स्पष्ट अंकन है कि जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 772 पर जारी किया गया है खसरा नम्बर 770 पर जारी नही किया गया है। मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 772 गै.मु. आबादी भुमि है। जिसमें प्रार्थीया एवं उसके पिता का किसी प्रकार से हित बाधित नही होता है। ग्राम पंचायत सेन्दडा ने अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा पंचायत नियमों की पालना करते हुए किया गया है। जैर निगरानी पट्टा दिनांक 27.11.1997 को जारी किया गया था। जिसे लगभग 22 वर्ष हो चुके है इतने समय बाद न्यायालय में निगरानी पेश करना न्यायोचित प्रतित नही होता है। अतः प्रार्थी का जैर निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रेकर्ड का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानी केवलमात्र हितबद्ध पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी का इसमें कोई हित नही है जिसके संबध में राज पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी। जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 22.08.1997 को एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सेन्दडा में पेश कर आबादी भुमि में कब्जाशुदा मकान एवं प्लाट का पट्टा बनवाने हेतु पेश किया, जिसके संबध में दिनांक 26.08.1997 को ग्राम पंचायत बैठक में तीन पंचों की कमेटी बना कर मौका निरिक्षण कर आगामी बैठक में रिपोर्ट पेश करने को कहा, जिसकी पालना में प्राप्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आवेदन कर्ता का पीढियों से कब्जा है अप्रार्थी संख्या 02 ने ग्राम पंचायत सेन्दडा में जैर निगरानी का पट्टे के आवेदन पेश करते समय राज पंचायती राज अधिनियम की धारा 145(2) के तहत आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करवाने का प्रावधान है, लेकिन आवेदक ने जैर निगरानी आराजी के पट्टे के आवेदन के लिए किसी प्रकार का शुल्क जमा नही करवाया जो की राज पंचायत राज अधिनियम की धारा 145(2)व 145(3) का उल्लंघन है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

राज पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 148 के तहत एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बध में इसके प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी। धारा 148 की उप धारा 2 उप नियम(1) में निर्दिष्ट नोटिस दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी। दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये जाने के पश्चात पंचायत कार्यालय में लौटा दी जायेगी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 17.10.1997 की पालना में दिनांक 18.11.1997 को एक इस्तहार मौके पर चस्पा किया गया जिस पर दो गवाह के हस्ताक्षर है, दो गवाह कौन है उनके बारे में पत्रावली पर एवं इश्तिहार में स्पष्ट अंकन नही है। साथ ही उसी दिन अर्थात दिनांक 18.11.1997 को ही ग्राम पंचायत की बैठक की आदेशिका में यह अंकन कर दिया कि किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही हुई जो स्पष्ट करता है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते हुए पंचायत राज अधिनियम की धारा 148 का की पालना नही की गई है।

जैर निगरानी पट्टे का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पट्टे के उत्तर दिशा मे नेशनल हाईवे है ऐसी स्थिति में पंचायत राज अधिनियम की धारा 161(2) में स्पष्ट अंकन है कि पंचायत निम्नलिखित विनिर्दिष्ट सीमाओ में न तो किसी आबादी भुमि का विक्रय करेगी न ही पक्का संनिर्माण अनुज्ञात करेगी।–(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्य रेखा से एक सौ पचास फीट, लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त कानुन का उल्लघन करते हुए मात्र 200/–रूपये में पट्टाधारक को अनुचित लाभ पहुचानें की नियत से एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रावधानों की अनदेखी व अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी की पंचायत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सेन्दडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में मिसल संख्या 02/1997–98, संकल्प संख्या 12 दिनांक 18.11.1997 की पालना में जारी **पट्टा संख्या 02** दिनांक 27.11.1997 को निरस्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28-3-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली